उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-2
संख्या-26/2021/एस-2-403/दस-2021-88क(5)/2017
लखनऊ :: दिनाँक: 18 मार्च, 2021

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-'ख' के अधिकारी श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह, वित्त एवं लेखाधिकारी, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को उनके अपने कार्य के साथ-साथ लेखाधिकारी, उ0प्र0 डिजाइन एवं शोध संस्थान, लखनऊ के पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

2- श्री सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

समीर
विशेष सचिव

<u>संख्या-26/2021/एस-2-403(1)/दस-2021, तददिनाँक</u>।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, कारागार/लघु, सूक्ष्य एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- अध्यक्ष, उ0प्र0 डिजाइन एवं शोध संस्थान, नियर देलही पब्लिक स्कूल अमर शहीद पथ, लखनऊ।
4- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0, प्रयागराज।
6- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक कोषागार।
7- मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विद्या कुमार)
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।